Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : राजेन्द्र कुमार उर्फ नन्दलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सं. 61 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2019	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नन्दलाल पुत्र फुसाराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा सूरतगढ़ ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 45 एस.टी.जी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 68 के पत्थर नं. 17/376 (15) के किला नं. 2 ता 9, 12/1 ता 18, 23 ता 25 = 4.427 है0 नालीदोयम मय रास्ता खातेदारी भूमि बरूवे राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पटवार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र फुसाराम अंकित है, लेकिन प्रार्थी का सही नाम नन्दलाल पुत्र फुसाराम है जो प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास, चालक अनुज्ञा–पत्र में अंकित है, इसलिए प्रार्थी ने उक्त जमाबन्दी में अपना नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर नन्दलाल दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपने कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम राजेन्द्र कुमार व पहचान के दस्तावेजों में नाम नन्दलाल दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है व प्रार्थी का रकबा बैंक में रहन होने के कारण नामों में भिन्नता की वजह से प्रार्थी छूट का लाभ भी नहीं ले पा रहा है, इसलिए जैर प्रार्थना–पत्र अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ नन्दलाल दर्ज करने की प्रार्थना की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार पटवार मण्डल रंगमहल के चक 45 एस.टी.जी. की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 68 के पत्थर नं. 17/376 (15) के किला नं. 2 ता 9, 12/1, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 4.427 है0 नालीदोयम मय गै.मु.रास्ता राजेन्द्रकुमार वल्द फुसाराम जाति ब्राहमण सा. सूरतगढ़ खातेदार रहन–एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा सूरतगढ़ मुर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में नन्दलाल पुत्र फुसाराम जाति ब्राहमण दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस की चित्रप्रति में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र फुसाराम दर्ज है, और प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र फुसाराम अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के समर्थन व साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र एवं सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व साक्ष्य, प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी राजेन्द्र कुमार उर्फ नन्दलाल पुत्र फुसाराम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 45 एस.टी.जी. की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 68 के पत्थर नं. 17/376 (15) के किला नं. 2 ता 9, 12/1, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 4.427 है0 नालीदोयम मय गै.मु.रास्ता खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के कॉलम सं. 4 में अंकित काश्तकार का नाम राजेन्द्रकुमार वल्द फूसाराम के स्थान पर राजेन्द्रकुमार उर्फ नन्दलाल वल्द फूसाराम दुरूस्त किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। इसी प्रकार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम पत्र लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	2606 03.12.19

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.04 11:20:25 IST
Reason: SelfAttested